(4) (61)

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

केन्द्रीय भवन, पांचवा तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
टेलीफैक्स-2324
दिनांक: 11.05.2009

श्री अरविन्द
उ.व.
1/6/09

1341
2.6.

पत्र सं. 8बी/राज/06/33/2008/एफ.सी./ 162

सेवा में,
प्रमुख सचिव (वन),
विभाग सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत [illegible] सड़क निर्माण हेतु 4.896 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का [illegible] पत्र सं. एफ 14( )2007/कोटा/वसु/प्रनुसर्ष/1749, दिनांक: 03.03.2009

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषय पर विशिष्ट शासन सचिव, [illegible], राजस्थान का पत्रांक प01(50)वन/2008, दिनांक 21.04.2008 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने निम्नांकित [illegible] संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

उक्त प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक [illegible] 31/07/2008 के द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगी गयी थी, जिसमे उल्लिखित शर्तों [illegible] सूचना अति० मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी [illegible] उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गई सूचना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह [illegible] कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत [illegible] सड़क निर्माण हेतु 4.896 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन [illegible] के पालन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के [illegible] 4.896 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा [illegible]।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय [illegible] रिट याचिका (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 में दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि [illegible] जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के [illegible] पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा करेगा।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों का पुनर्निरीक्षण [illegible] द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से यह अण्डरटेकिंग भी ली जाए कि अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण बाध्य होगी।
5. भारत सरकार पत्र संख्या 5-1/2007-एफ०सी० दिनांक 05 [illegible] के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण [illegible] के खाता संख्या सी०ए०-1581, कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेस-1, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाये।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के बिना पूर्व अनुमति के वन भूमि का उपयोग किया गया है। अतः वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने अर्थात 9.79 हे० [illegible] वन भूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा किया जायेगा।
7. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी जायेगी एवं इस तथ्य का वर्णन उनकी सर्विस पुस्तिका में किया जायेगा और उसकी एक प्रति [illegible] कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट [illegible] प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अनुपालन आख्या इस कार्यालय [illegible] जाए। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक सम्पादित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि [illegible] विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाते ।

भवदीय,

(हीरा राम सिंह)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. मण्डल वनाधिकारी कोटा, राजस्थान।
4. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला [illegible], राजस्थान।
5. गार्ड पत्रावली ।

(हीरा राम सिंह)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Scanned by CamScanner